दूरभाष
कार्यालय (07805) – 234541
निवास (07805) – 244110
फैक्स (07805) – 234540
email-dmsingrauli-mp@mail.nic.in

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला-सिंगरौली(म.प्र.)

सिंगरौली दिनांक 06 अक्टूबर 2018

## आदेश

**(अंतर्गत धारा -17, आयुध अधिनियम, 1959)**

क्रमांक/ 1024/आर.डी.एम./निर्वाचन/2018, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेसनोट कमांक ECI/PN/66/2018 Dated 06 October, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2018 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला सिंगरौली में भी दिनांक 06 अक्टूबर 2018 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। चुनाव प्राचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों/ उम्मीदवारों के समर्थकों के मध्य विवाद होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रकिया के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये विधान सभा निर्वाचन को निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले के अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित किया जाना प्रसंग की तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से वांछनीय हो गया है।

2- अतः मैं अनुराग चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली एतद् द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत सिंगरौली जिले की समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का आदेश देता हूँ। ***समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने शस्त्र आदेश दिनांक से एक सप्ताह के भीतर निकटतम पुलिस थाने में जमा कराया जाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर लें।***

3- क्योंकि यह आदेश आपात परिस्थितियों में पारित किया जा रहा है इस कारण समस्त लायसेंसधारियों को जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है, को व्यक्तिशः सूचना सम्यक समय में तामील कराया जाना एवं उनकी सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतएव एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जाता है, किसी भी समाचार माध्यम से प्राप्त सूचना / लाउड-स्पीकर के माध्यम से किया गया प्रचार-प्रसार को व्यक्तिशः सूचना तामीली माना जावेगा। इस आदेश की सूचना सर्व साधारण जनता एवं लायसेंसधारियों को ध्वनि-विस्तारक यंत्रों एवं अखबारों द्वारा दी जावे। दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जावे।

***पुलिस अधीक्षक सिंगरौली इस आदेश को संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से परिपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित थानों में जमा कराये गये शस्त्रों की जानकारी प्रतिदिन निर्वाचन आयोग एवं इस कार्यालय के शस्त्र शाखा में प्रस्तुत करायेंगे।***

*4- निर्वाचन कार्य में संलग्न समस्त शासकीय सेवकों, समस्त न्यायिक दण्डाधिकारियों, समस्त पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों, वन विभाग, जेल, होमगार्ड, शासकीय प्रतिष्ठानों के सुरक्षा कर्मियों एवं अन्य विभागों के ऐसे अधिकारी /कर्मचारी जिन्हें शासन से शस्त्र प्रदत्त किये गये है को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है।*

*5- यदि सिंगरौली जिले में स्थित किसी सार्वजनिक/ निजी प्रतिष्ठान को सुरक्षा हेतु शस्त्रधारक सुरक्षाबल की आवश्यकता है तो उन्हें कारण दर्शित करते हुये इस कार्यालय में अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत आवेदन के अनुक्रम में शस्त्र धारकों को शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।*

*ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक जो सिंगरौली जिले से बाहर पंजीकृत हैं, उन्हें इस जिले के साथ-साथ संबंधित जिला दण्डाधिकारी जहां उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति पंजीकृत है वहां से भी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।*

6- यह आदेश सम्पूर्ण जिला सिंगरौली में दिनांक 06 अक्टूबर 2018 से दिनांक 13 दिसम्बर 2018 को शायं 5:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(अनुराग चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला-सिंगरौली(म0प्र0)

पृ0क्रमांक/ 1025/आर.डी.एम./निर्वाचन/2018, सिंगरौली दिनांक 06 अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग वल्लभ भवन भोपाल।
3. कमिश्नर, रीवा सम्भाग रीवा।
4. आई.जी. रीवा रेंज रीवा।
5. पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करते हुये लेख है कि जिले में पंजीकृत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों की सूची संलग्न कर प्रेषित है, इस सूची के अतिरिक्त कोई भी शस्त्र अनुज्ञप्ति, जिसका किसी अन्य जिले में पंजीयन नहीं है अथवा शस्त्र अनुज्ञप्ति का UIN नहीं हैं, वे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियां स्थायी रूप से निलम्बित मानी जावें। ऐसी शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं शस्त्रों को जप्त किया जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराई जावे।
6. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सिंगरौली।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) समस्त जिला सिंगरौली।

8. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सिंगरौली।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
10. तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. थाना प्रभारी (समस्त) .............................. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर भी करावें।
12. मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल...................................... समस्त की ओर सूचनार्थ।
13. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

**जिला मजिस्ट्रेट**
जिला-सिंगरौली(म0प्र0)